



राजस्थान सरकार

पर 28/11/24/212काट

U/S 136

219/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
(पीठासीन अधिकारी) पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण
दिनांक : 28/9/24

कमांक : राजस्व/2024/201

--:आदेश:-

2024/328

राजस्व प्रविष्टि संख्या : 219/2024

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खेड़ी सालवा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खेड़ी खुर्द तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 46 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमानप्रविष्टि(अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खेड़ी खुर्द	46	प्रभुराम पुत्र तुलछाराम	परशुराम पुत्र तुलछाराम

(द्वाराम)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, पीपाड़शहर
दिनांक :- 28/9/24

कमांक :-सम/2024/202-204

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी खेड़ी सालवा को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी परशुराम पुत्र तुलछाराम निवासी खेड़ी खुर्द तहसील पीपाड़ शहर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, पीपाड़शहर

रीडर शाखा

Signature valid

Digitally signed by Dooda Ram
Designation: Sub Divisional Office
Date: 2024.10.24 15:29:17 IST
Reason: Approved

